कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, कलकत्ता

बनाम

जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड

28 नवंबर, 1988

[सब्यसाची मुखर्जी और एस. रंगनाथन, न्यायाधीश]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944- धारा 35 एल (बी) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वस्तु 68 और अधिसूचना संख्या 201/79- सी. ई. दिनांक 4 जून, 1979- पंखों पर नाम पट्टिका लगाना- क्या विक्रेता प्रोफार्मा क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार है।

प्रतिवादी विद्युत पंखों का निर्माता है। कंपनी केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के टैरिफ आइटम 68 के तहत अपने कारखाने में नाम पट्टिका लाई। नाम पट्टिकाओं को विपणन से पहले पंखों पर चिपका दिया गया। प्रतिवादी ने अधिसूचना संख्या 201/79 दिनांक 4-6-1979 के संदर्भ में प्रोफार्मा क्रेडिट के लाभ का दावा किया, जिसमें कहा गया था कि सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं जिन पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय था और जिनके निर्माण में टैरिफ आइटम संख्या 68 के अंतर्गत आने वाली किसी भी वस्तु का उपयोग इनपुट के रूप में किया गया था, उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से उन्हे छूट दी गई थी, जो इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के बराबर था। प्रतिवादी ने माल अर्थात नाम पट्टिका के लिए प्रोफार्मा क्रेडिट के लाभ का दावा किया कि माल का उपयोग बिजली के पंखे के निर्माण में इनपुट के रूप में किया जाना था।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने प्रोफार्मा क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया। प्रतिवादी ने कलेक्टर (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के समक्ष एक अपील दायर की और जून 1979 की अधिसूचना के अनुसार उक्त सामान को इनपुट के रूप में मानते हुए अपील को अनुमति दी गई।

विभाग ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की, जिसने यह अभिनिर्धारित किया कि भले ही बिजली के पंखे नाम पट्टिकाओं के बिना काम कर सकते हैं, लेकिन बिना नाम पट्टिका के किसी भी बिजली के पंखे को विपणन के लिए कारखाने से नहीं ले जाया गया, क्योंकि नाम पट्टिका लगाना उत्पाद शुल्क की दृष्टि से एक अनिवार्य आवश्यकता मानी गई थी।

इसिलए, विभाग ने इस न्यायालय के समक्ष केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 एल (बी) के तहत अपील दायर की।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

- 1. विभाग का निर्देश कि प्रत्येक निर्माता को पंखों पर नाम पट्टिका लगाना आवश्यक है, यह दर्शाता है कि विपणन योग्य बिजली के पंखों के लिए 'निर्माण' की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नाम पट्टिका एक आवश्यक घटक थी। [1001 ई]
- 2. न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि नाम पट्टिका सजावट का सामान नहीं था। नाम पट्टिका के बिना, बिजली के पंखों का विपणन नहीं किया जा सकता था; और यह कि डीलर प्रोफार्मा क्रेडिट प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या 201/79-सीई के तहत लाभ का हकदार था। [1001 एफ-जी]
- 3. नाम पट्टिका वाले पंखे का एक निश्चित मूल्य होता है जो बिना नाम पट्टिका वाले पंखे का नहीं होता। यदि ऐसा है, तो नाम पट्टिका की अभिवृद्धि के लिए जोड़ा गया मूल्य उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रोफार्मा क्रेडिट का हकदार था। यह सत्य है कि एक बिजली का पंखा बिना नाम पट्टिका लगाए भी अपने आवश्यक कार्य

कर सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। नाम पट्टिका लगाए बिना बिजली के पंखे विपणन योग्य उत्पाद नहीं बनते। [1001 जी-एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं.1630/1988

अपील संख्या 2321/83-बी.आई. में आदेश संख्या 18/1988 'बी' में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 21.1.1988 से।

जी. रामास्वामी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, के. स्वामी और श्रीमती सुषमा सूरी- अपीलार्थी की ओर से।

रविंदर नारायण, पी. के. राम और डी. एन. मिश्रा- प्रतिवादी की ओर से। न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश सब्यसाची म्खर्जी के द्वारा दिया गया।

यह अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 35 एल(बी) के तहत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश के खिलाफ है।

प्रतिवादी बिजली के पंखों का निर्माता है, और वह पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के टैरिफ आइटम 68 के तहत अपने कारखाने में नाम पट्टिकाएं लाया। पंखों के विपणन से पहले उन पर नाम पट्टिकाएं चिपकाई गईं। प्रतिवादी ने अधिसूचना संख्या 201/79 दिनांक 4 जून, 1979 के संदर्भ में प्रोफार्मा क्रेडिट का लाभ का दावा किया, जो टैरिफ आइटम 68 के अंतर्गत आने वाले सामानों पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क पर राहत के उद्देश्य से था, जब इन सामानों का उपयोग अन्य उत्पाद शुल्क योग्य सामानों के निर्माण में किया जाता है। उक्त अधिसूचना में दिनांक 18 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या 178/77 के अधिक्रमण करते हुए कहा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सभी उत्पाद शुल्क जिन पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है और जिनके निर्माण में

वस्तु संख्या 68 (जिसे इसके बाद 'इनपुट' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत आने वाले किसी भी सामान का उपयोग किया गया है, उन्हें उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है जो पहले से ही इनपुट पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के बराबर है।

इसमें निर्देश दिया गया है कि परिशिष्ट में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए; और इसके अलावा उक्त अधिसूचना में निहित कोई भी बात उक्त वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जो उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं या शून्य शुल्क के लिए प्रभार्य हैं।

इसने आगे यह निर्धारित किया कि इनपुट के संबंध में अनुमत शुल्क के क्रेडिट को इस आधार पर अस्वीकार या परिवर्तित नहीं किया जाएगा कि ऐसा इनपुट उक्त माल के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी अपशिष्ट, अपशिष्ट या उप-उत्पाद में निहित है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा अपशिष्ट, अपशिष्ट या उत्पाद उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से मुक्त है या शुल्क की शून्य दर से प्रभार्य है, या इस अधिसूचना के परिशिष्ट में निर्दिष्ट घोषणा में इसका उल्लेख नहीं है। बशर्त कि किसी भी अधिसूचना में निहित कोई बात उस माल पर लागू नहीं होनी चाहिए जिस पर उत्पाद शुल्क का भ्गतान बैंडरोल के माध्यम से किया जाता है।

परिशिष्ट में प्रक्रिया निहित है। उक्त सामान के लिए प्रोफार्मा के लाभ का दावा इस दलील के साथ किया गया था कि माल का उपयोग बिजली के पंखों के निर्माण में (इनपुट के रूप में) किया जाना था। सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कलकता-XV डिवीजन ने इस आधार पर उक्त माल को प्रोफार्मा क्रेडिट की अनुमति नहीं दी कि तैयार माल यानी बिजली के पंखों के निर्माण में नाम पट्टिका आवश्यक सामग्री या

कच्चा माल नहीं हैं और इसलिए अधिसूचना संख्या 201/79 दिनांक 4.6.1979 के संदर्भ में इन्हें इनपुट के रूप में नहीं माना जा सकता है।

प्रतिवादी ने फैसले के खिलाफ कलेक्टर (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कलकता के समक्ष अपील दायर की, और उसे अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए अनुमित दी गई कि बिजली के पंखों पर विभागीय निर्देशों के मैनुअल के पूरक के पैरा 8 में बिजली के पंखों पर नाम पट्टिकाओं की उपयोगिता को स्पष्ट किया गया है और इसलिए, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उक्त माल को 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79 के संदर्भ में 'इनपुट' माना जाना चाहिए।

इसलिए, कलेक्टर ने सहायक कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधिकरण में एक अपील की गई थी। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में वह संक्षिप्त बिंदु, जिस पर निर्णय की आवश्यकता थी, यह था: क्या नाम पट्टिकाओं को बिजली के पंखे के अंग के रूप में माना जा सकता है, तािक वे छूट की अधिसूचना के तहत प्रोफार्मा क्रेडिट के लिए पात्र हो सके। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि बिना नाम पट्टिका के किसी भी बिजली के पंखे को विपणन के लिए कारखाने से नहीं ले जाया गया। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि भले ही यह कहा जा सकता है कि बिजली के पंखे नाम पट्टिका के बिना भी काम कर सकते थे, लेकिन पंखे के वास्तविक विपणन के लिए नेमप्लेट लगाना आवश्यक माना गया। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि उत्पाद शुल्क के दृष्टिकोण से भी यह एक मूलभूत आवश्यकता थी क्योंकि विभिन्न प्रकार के विद्युत पंखों पर शुल्क की दर, उनकी विविधता और पंखे के आकार पर निर्भर करती है। यह जानकारी केवल नाम पट्टिकाओं में दी गई थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के अपने कमोडिटी मैनुअल के निर्देशों ने प्रत्येक निर्माता के लिए पंखों पर नेमप्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। उन परिस्थितियों में, अर्थात्, पंखों के विपणन के लिए, ये आवश्यक थे। दूसरे शब्दों में, नाम पट्टिकाओं के बिना उनका विपणन नहीं किया जा सकता था। शुल्क के निर्धारण के लिए पंखे का प्रासंगिक विवरण, उन विवरणों पर निर्भर करता है जो केवल नाम पट्टिकाओं में निहित होते हैं। प्रत्येक निर्माता को पंखों पर नेमप्लेट लगाने के लिए विभाग के निर्देशों से संकेत मिलता है कि विपणन योग्य बिजली के पंखों के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नाम पट्टिकाएं एक आवश्यक घटक था।

उन परिस्थितियों में, हमारी राय में, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि नाम पट्टिकाएं मात्र सजावट का सामान नहीं था, नाम पट्टिकाओं के बिना, बिजली के पंखों का विपणन नहीं किया जा सकता था; और यह कि विक्रेता अधिसूचना संख्या 201/79-सी. ई. का लाभ पाने का हकदार था। नाम पट्टिकाओं वाले पंखों का एक निश्चित मूल्य होता है जो नाम पट्टिकाओं के बिना पंखों का नहीं होता है। यदि ऐसा है, तो नाम पट्टिकाओं की अभिवृद्धि के लिए जोड़ा गया मूल्य उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रोफार्मा क्रेडिट का हकदार था। यह सच है कि एक विद्युत पंखा नाम पट्टिकाओं को चिपकाए बिना अपने आवश्यक कार्यों को कर सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। बिजली के पंखे नाम पट्टिकाएं चिपकाए बिना विपणन योग्य उत्पाद नहीं बनते हैं।

मामले के उस दृष्टिकोण में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण ने इस मामले में लागू होने वाले सही सिद्धांतों का पालन किया। सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा गया था। न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण सही था। उस आधार पर लिया गया निर्णय सही प्रतीत होता है।अपील विफल हो जाती है और तदन्सार खारिज की जाती है। एसकेए.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।